न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर

01. **अग्रिम जमानत** प्रार्थनापत्र संख्या–2880 **सन् 2026,**
(CNR NO. UPBU01-007725-2026)

इरशाद पुत्र शाजाद, निवासी ग्राम हिरनोटी, थाना ककोड़, जिला बुलन्दशहर।
.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0राज्य .....अभियोजन पक्ष।

एवं

02. **अग्रिम जमानत** प्रार्थनापत्र संख्या–2881 **सन् 2026,**
(CNR NO. UPBU01-007726-2026)

शाहरूख उर्फ सरूख पुत्र अली शेर निवासी ग्राम हिरनोटी, थाना ककोड़, जिला बुलन्दशहर। .....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0राज्य .....अभियोजन पक्ष।

एवं

03. **अग्रिम जमानत** प्रार्थनापत्र संख्या–2883 **सन् 2026,**
(CNR NO. UPBU01-007728-2026)

जाहिद पुत्र जमील, निवासी ग्राम हिरनोटी, थाना ककोड़, जिला बुलन्दशहर।
.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0राज्य .....अभियोजन पक्ष।

एवं

04. **अग्रिम जमानत** प्रार्थनापत्र संख्या–2884 **सन् 2026,**
(CNR NO. UPBU01-007730-2026)

गुल्लू उर्फ गुलमौहर पुत्र श्री गुलशेर, निवासी ग्राम हिरनोटी, थाना ककोड़, जिला बुलन्दशहर। .....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0राज्य .....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्याः–176 सन् 2026
अन्तर्गत धाराः–109(1), 351(2), 352, 125 व 115(2) बी.एन.एस.
थानाः–ककोड़, जिला बुलन्दशहर।

–::निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र::–

01. उपरोक्त सभी अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र एक ही घटना व संव्यवहार से संबंधित हैं। अतः उपरोक्त सभी जमानत प्रार्थनापत्रों को समेकित कर उनका निस्तारण एकसाथ किया जा रहा है। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2880 सन 2026 को अग्रणी जमानत प्रार्थनापत्र घोषित किया जाता है।

02. उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण उपरोक्त की ओर से मय शपथपत्र उपरोक्त प्रकरण में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किये गये है।

03. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) तथा वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया एवं उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

04. आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि आवेदकगण निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण के विरुद्ध कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण को उक्त अभियोग में झूठा फसाया गया है। थाना ककोड़ में अभियुक्त इरफान ने मु0अ0संख्या 178

Digitally signed by SANJAY SINGH
Date: 2026.06.06 17:33:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सन् 2026 अन्तर्गत धारा 351(2), 352, 125, 115(2) बी.एन.एस. दर्ज करायी थी। आवेदकगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नही है। इन कथनों के आधारों पर अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

05. मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा साकिर ने थाना हाजा पर सूचना दी कि दिनांक 18.05.2026 को समय करीब शाम 07.00 बजे वादी के घर पर आकर आवेदकगण/अभियुक्तगण ने अपने हाथों में लिए डण्डा, लाठी, रॉड व फावडा से जान से मारने की नीयत से मारपीट, जिससे उसके भाई साबिर, गुलजार कासिम व बबलू को काफी गम्भीर चोटे हाथ पैरों सिर पर आयी। आसपास के लोगों ने उक्त लोगों से बचाया, यह लोग गाली गलौंच करते हुए धमकी देकर ईट पत्थर मारते हुए भाग गये। अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित हुई।

06. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौज0 द्वारा प्राथमिकी में वर्णित कथनों पर बल देते हुए यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध विवेचना प्रचलित है। प्रकरण के चोटहिलों को अभियुक्तगण द्वारा लाठी, डण्डो व फावडे से जान से मारने की नीयत से मारपीट गयी है। प्रकरण की सही विवेचना निष्पादित किये जाने हेतु अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लेकर, पूछताछ व बरामदगी की जानी आवश्यक है। अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता है। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

07. अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

08. मामले के तथ्यों के दृष्टिगत विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता– फौजदारी के इस तर्क में बल प्रतीत होता है कि प्रकरण की सही विवेचना हेतु अभियुक्तगण को हिरासत में लेकर पूछताछ व बरामदगी की जानी आवश्यक है।

विधि–व्यवस्था **अदरी धरन दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2005) 4 एस0सी0सी0 303** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि, अभियुक्त की गिरफ्तारी का उद्देश्य अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना मात्र नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त अन्य उद्देश्य भी होते हैं। अभियुक्त से घटना के उद्देश्य, तैयारी, घटना से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों की जानकारी, घटना के परिणाम आदि के सम्बन्ध में विस्तृत पूछतांछ की आवश्यकता हो सकती है। विवेचना के बाधारहित अग्रसारित होने, साक्षी व पीड़ित व्यक्ति से सम्बन्धित व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने व समाज में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए अभियुक्त की स्वतंत्रता का हनन आवश्यक हो सकता है। उक्त सभी कारणों से अभियुक्त की गिरफ्तारी विवेचना का आवश्यक अंग हो जाती है। न्यायालय को संज्ञेय अपराध की विवेचना व उसके सम्बन्ध में गिरफ्तारी में सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

विधि–व्यवस्था **पी0 चिदम्बरम बनाम एन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेट क्रिमिनल अपील नं0–1340/2019** के प्रस्तर–60 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि, संज्ञेय अपराध की विवेचना का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से विवेचना करने वाली एजेंसी के पास होता है, जिसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक कि, विवेचक अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग नहीं करता और विधि द्वारा दी गयी परिसीमाओं में अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। धारा–438 दं0प्र0संहिता द्वारा प्रदत्त शक्ति असाधारण शक्ति है, जिसके प्रयोग में संयम बरतना चाहिए। गिरफ्तारी पूर्व जमानत केवल अपवादिक मामलों में ही दी जानी चाहिए। अग्रिम जमानत कुछ सीमा तक अपराध की विवेचना में हस्तक्षेप करती है। अतः न्यायालय को अग्रिम जमानत देने के अधिकार का प्रयोग करते समय अत्यन्त सावधान रहना चाहिए। यह असाधारण अनुतोष असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1998 से सम्बन्धित सी0बी0आई0 बनाम अनु शर्मा (1997) 7 एस0सी0सी0 187 के मामले में सी0बी0आई0** की ओर से प्रस्तुत किये गये इस तर्क को सारवान माना है कि, अभियुक्त से उसके अभिरक्षा में रहने के दौरान की गयी पूछतांछ (Custodial Interrogation) उस अभियुक्त, जिसके पक्ष में धारा–438 दं0प्र0संहिता के अन्तर्गत आदेश पारित किया जा चुका है, से की गयी पूछतांछ से गुणवत्ता में अधिक व्याख्यानात्मक होती है। उक्त मामले में निर्णय देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि, ऐसे मामले में विवेचना में सफलता मुश्किल होगी यदि संदिग्ध व्यक्ति विवेचना में पूछतांछ के दौरान यह जानता है कि, वह गिरफ्तारी पूर्व आदेश से सुरक्षित है। प्रायः ऐसी परिस्थिति में विवेचना एक औपचारिकता मात्र बनकर रह जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह मत व्यक्त किया है कि, अग्रिम जमानत पर निर्णय लेते समय किसी तथ्य को उतना ही महत्व देना आवश्यक नहीं है, जितना नियमित जमानत (गिरफ्तारी के उपरान्त जमानत) पर दिया जाता है।

09. अभियोजन के अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण पर वादी पक्ष के साथ लाठी डण्डो, फावडे से जान से मारने की नीयत से मारपीट कर गाली गलौंच करते हुए जान से मारने की धमकी देने व ईट पत्थर फैकने का अरोप अभिकथित है।

10. अभियोजन के अनुसार अब तक की गयी विवेचना एवं संकलित साक्ष्य से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर अपने हाथों में लिए डण्डा, लाठी, रॉड व फावडा से जान से मारने की नीयत से वादी पक्ष के चोटहिल साबिर, गुलजार, बबलू व कासिम के साथ मारपीट की, जिसें उन्हें गम्भीर चोटे सिर व शरीर के अन्य भागों पर आयी तथा आवेदकगण/अभियुक्तगण गाली गलौंच करते हुए ईंट व पत्थर मारते हुए भाग गये।

चोटहिल गुलजार की चिकित्सीय आख्यानुसार उसके शरीर पर 04 चोटें, जिनमें चोट संख्या–01, 02 व 03 फटे हुए घाव की क्रमशः दाहिनी भौं के ऊपर ललाट पर, सिर के पीछे की तरफ बॉय कान की तरफ व बॉये कोहनी के जोड़ पर आना, जिनमें से चोट संख्या 1, 2 व 3 को निरीक्षणाधीन रखते हुए एक्सरे हेतु सन्दर्भित किया जाना तथा चोट संख्या–04 को साधारण प्रकृति की होना दर्शित किया है।

चोटहिल साबिर की चिकित्सीय आख्यानुसार उसके शरीर पर 11 चोटें, जिनमें चोट संख्या 2, 3 व 7 फटे हुए घाव की क्रमशः सिर के पीछे बॉये कान से ऊपरी तरफ, बॉय हाथ व दाहिनी हथेली पर आना, जिनमें से चोट संख्या 2, 3 व 7 को निरीक्षणाधीन रखते हुए एक्सरे हेतु सन्दर्भित किया जाना तथा शेष चोटों को साधारण प्रकृति की होना दर्शित किया है।

चोटहिल बबलू व कासिम की चिकित्सीय आख्यानुसार उनके शरीर पर 03–03 चोटें साधारण प्रकृति की होना दर्शित किया गया है।

मामले मे विवेचना प्रचलित है। ऐसी दशा में अभियोजन के इस तर्क में बल प्रतीत होता है कि प्रकरण की सही व निष्पक्ष विवेचना निष्पदित किये जाने तथा साक्ष्य संकलन के लिए आवेदकगण/अभियुक्तगण को हिरासत में लेकर पूछताछ व बरामदगी की जानी आवश्यक है।

आवेदकगण/अभियुक्तगण प्राथमिकी में नामित है। अभिकथित अपराध की प्रकृति व गम्भीरता तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि इस स्तर पर न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिससे यह परिलक्षित हो कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराने का उद्देश्य उसको गिरफ्तार कराकर अपमानित करना हो। आवेदकगण/अभियुक्तगण के अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 बी0एन0एस0एस0 निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

01. आवेदक/अभियुक्त इरशाद का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

02. आवेदक/अभियुक्त शाहरूख उर्फ सरूख का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

03. आवेदक/अभियुक्त जाहिद का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

04. आवेदक/अभियुक्त गुल्लू उर्फ गुलमोहर का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

इस आदेश की एक–एक प्रति अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2881 सन् 2026, 2883 सन् 2026, 2884 सन् 2026 व गुल्लू उर्फ गुलमोहर की पत्रावली पर रखी जाये।

(संजय सिंह–I)
सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

दिनांक : 06.06.2026
सत्यप्रकाश सक्सैना–पी0ए0,

आई0डी0 क्रमांक–यू0पी0–2015